हरियाणा सरकार

राजस्व विभाग

अधिसूचना

दिनांक 15 अगस्त, 1998

सं.सा.का.नि.14/सवि./अनु.309/98.--भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा राजस्व विभाग जिला अधीनस्थ (ग्रुप घ) सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती तथा उनकी सेवा शर्तों को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :--

भाग I -सामान्य

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ :

1. (1) ये नियम हरियाणा राजस्व विभाग जिला अधीनस्थ (ग्रुप घ) सेवा नियम, 1998, कहे जा सकते हैं ।

(2) ये राजपत्र में, उन के प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे ।

परिभाषाएं :

2. इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--

(क) "आयुक्त" से अभिप्राय है, सम्बन्धित राजस्व मण्डलीय आयुक्त ;

(ख) "उपायुक्त" से अभिप्राय है, सम्बन्धित जिला का उपायुक्त ;

(ग) "सीधी भर्ती" से अभिप्राय है, कोई भी नियुक्ति जो सेवा में से पदोन्नति या भारत सरकार या किसी राज्य सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी पदधारी के स्थानान्तरण से अन्यथा की गई हो ;

(घ) "रोजगार विभाग" से अभिप्राय है, हरियाणा राज्य में स्थित रोजगार कार्यालय ;

(ङ) "सरकार" से अभिप्राय है, प्रशासनिक विभाग में हरियाणा सरकार ;

(च) "वित्तायुक्त" से अभिप्राय है, वित्तायुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार, राजस्व विभाग ;

(छ) "संस्था" से अभिप्राय है,--

(i) हरियाणा राज्य में लागू विधि द्वारा स्थापित कोई संस्था ; या

(ii) इन नियमों के प्रयोजन लिए सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त कोई अन्य संस्था ;

(ज) "सेवा" से अभिप्राय है, हरियाणा राजस्व विभाग, जिला अधीनस्थ (ग्रुप घ) सेवा ।

भाग II सेवा में भर्ती

पदों की संख्या तथा उन का स्वरूप :

3. सेवा में, इन नियमों के परिशिष्ट क में बताए गए पद होंगे :

परन्तु इन नियमों की कोई भी बात ऐसे पदों की संख्या में वृद्धि या कमी करने या विभिन्न पदनामों और वेतनमानों वाले नए पद स्थायी अथवा अस्थायी रूप से बनाने के सरकार के अन्तर्निहित अधिकार पर प्रभाव नहीं डालेगी ।

उम्मीदवारों की राष्ट्रिकता, अधिवास तथा चरित्र :

4. (1) कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जाये, जब तक कि वह निम्नलिखित न हो :--

(क) भारत का नागरिक ; या

(ख) नेपाल की प्रजा ; या

(ग) भूटान की प्रजा ; या

(घ) तिब्बत का शरणार्थी, जो पहली जनवरी, 1962, से पहले भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से आया हो ; या

(ङ) भारतीय मूल का व्यक्ति, जो पाकिस्तान, बर्मा, श्री लंका, या कीनिया, युगांडा तथा तंजानिया के संयुक्त गणराज्य (भूतपूर्व टांगानिका और जंजीबार) जांबिया, मालावी, जायरे और इथोपिया के किसी पूर्वी अफ्रीका देश से प्रवासित होकर भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से आया हो :

परन्तु प्रवर्ग (ख), (ग), (घ) या (ङ) से संबंधित व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति होगा जिस के पक्ष में सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो ।

(2) कोई भी व्यक्ति, जिस की दशा में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा संचालित परीक्षा या साक्षात्कार के लिए प्रविष्ट किया जा सकता है, किन्तु नियुक्ति का प्रस्ताव उसे सरकार द्वारा आवश्यक पात्रता प्रमाण-पत्र जारी किए जाने के बाद ही दिया जा सकता है ।

(3) कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक कि वह अपनी अन्तिम उपस्थिति के विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या ऐसी संस्था के, यदि कोई हो, प्रधान शैक्षणिक अधिकारी से चरित्र प्रमाण-पत्र और दो ऐसे अन्य जिम्मेवार व्यक्तियों से जो उस के सम्बन्धी न हों, किन्तु उस के व्यक्तिगत जीवन में उस से भली-भांति परिचित हों और जो उस के विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या संस्था से संबंधित न हों, उसी प्रकार के प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करे ।

आयु : 5. कोई भी व्यक्ति सेवा में सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त नहीं किया जाएगा, जो रोजगार विभाग को मांग भेजने की तिथि को या उस से पहले सोलह वर्ष से कम या पैंतीस वर्ष से अधिक आयु का हो ।

नियुक्ति प्राधिकारी :

6. सेवा में पदों पर नियुक्तियां सम्बद्ध उपायुक्त द्वारा की जाएंगी ।

योग्यताएं :

7. कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि वह सीधी भर्ती की दशा में, इन नियमों के परिशिष्ट ख के खाना 3 में तथा सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति की दशा में, पूर्वोक्त परिशिष्ट के खाना 4 में विनिर्दिष्ट अर्हताएं तथा अनुभव न रखता हो :

परन्तु सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति की दशा में, अनुभव सम्बन्धी अर्हताओं में नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक पर 50 प्रतिशत सीमा तक ढील दी जा सकेगी, यदि अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गो, भूतपूर्व सैनिकों तथा शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों में, उन के लिए, आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिये अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध न हो । ऐसा करने के लिये लिखित रूप में कारण दिए जाएंगे ।

अयोग्यताएं :

8. कोई भी व्यक्ति,--

(क) जिस ने जीवित पति/पत्नी वाले व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है ; या

(ख) जिस ने पति/पत्नी के जीवित होते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह कर लिया है, या विवाह की संविदा कर ली है, सेवा में किसी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि सरकार की सन्तुष्टि हो जाए, कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू स्वीय विधि के अधीन ऐसा विवाह अनुज्ञेय है तथा ऐसा करने के अन्य आधार भी हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के लागू होने से छूट दे सकती है ।

भर्ती का ढंग :

9. (1) सभी जिलों में सेवा में भर्ती निम्नलिखित ढंग से की जाएगी,--

(क) दफ्तरी तथा जमादार की दशा में,--

(i) सेवादारों या चौकीदारों में से पदोन्नति द्वारा ;

(ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(ख) सेवादार, चौकीदार, स्वीपर, स्वीपर एवं चौकीदार, वाटरमैन, टैंटफिटर, कहार तथा माली की दशा में,--

(i) सीधी भर्ती द्वारा ;

(ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ।

(2) सभी पदोन्नतियां, जब तक अन्यथा उपबन्धित न हों, ज्येष्ठता एवं योग्यता के आधार पर की जाएंगी केवल ज्येष्ठता की ऐसी पदोन्नति उस के लिए कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी ।

परिवीक्षा :

10. (1) सेवा में किसी भी पद पर नियुक्त व्यक्ति, यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो, तो दो वर्ष की अवधि के लिये और यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो, तो एक वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रहेगा :

परन्तु,--

(क) ऐसी नियुक्ति के बाद किसी अनुरूप या उच्चतर पद पर प्रतिनियुक्ति पर व्यतीत की गई कोई अवधि, परिवीक्षा की अवधि में गिनी जाएगी ;

(ख) स्थानान्तरण द्वारा किसी नियुक्ति की दशा में, सेवा में किसी भी पद पर नियुक्ति से पहले किसी समकक्ष अथवा उच्चतर पद पर किये गये कार्य की कोई अवधि, नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक पर इस नियम के अधीन नियत परिवीक्षा-अवधि की ओर गिनने दी जा सकती है ; और

(ग) स्थानापन्न नियुक्ति की कोई अवधि, परिवीक्षा पर व्यतीत की गई अवधि के रूप में गिनी जाएगी, किन्तु कोई भी व्यक्ति जिसने ऐसे स्थानापन्न रूप में कार्य किया है, परिवीक्षा की विहित अवधि पूरी होने पर, यदि वह किसी स्थायी पद पर नियुक्त न किया गया हो, पुष्ट किए जाने का हकदार नहीं होगा ।

(2) यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में परिवीक्षा की अवधि के दौरान किसी व्यक्ति का कार्य या आचरण सन्तोषजनक न रहा हो तो वह,--

(क) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो, तो उसे उसकी सेवाओं से अलग कर सकता है ; या

(ख) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्त किया गया हो तो,-.-

(i) उसे उस के पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है ; या

(ii) उस के सम्बन्ध में किसी अन्य रीति में कारवाई कर सकता है, जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबन्धन तथा शर्तें अनुज्ञात करे ।

(3) किसी व्यक्ति की परिवीक्षा अवधि पूरी होने पर, नियुक्ति प्राधिकारी,--

(क) यदि उसका कार्य या आचरण उसकी राय में सन्तोषजनक रहा हो तो--

(i) ऐसे व्यक्ति को, यदि वह स्थायी रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो, उसकी नियुक्ति की तिथि से पुष्ट कर सकता है ; या

(ii) ऐसे व्यक्ति को, यदि वह किसी अस्थायी रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो, स्थायी रिक्ति होने की तिथि से पुष्ट कर सकता है ; या

(iii) यदि कोई स्थाई रिक्ति न हो, तो घोषित कर सकता है कि उस ने अपनी परिवीक्षा अवधि सन्तोषजनक ढंग से पूरी कर ली है ; या

(ख) यदि उसका कार्य या आचरण उसकी राय में सन्तोषजनक न रहा हो तो,--

(i) यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति किया गया हो, तो उसे उसकी सेवाओं से अलग कर सकता है, यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो, उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है या उस के सम्बन्ध में ऐसी अन्य रीति में कार्रवाई कर सकता है, जो उस की पूर्व नियुक्ति के निबन्धन तथा शर्तें अनुज्ञात करें ; या

(ii) उसकी परिवीक्षा-अवधि बढ़ा सकता है और उसके बाद ऐसे आदेश कर सकता है जो वह परिवीक्षा की प्रथम अवधि की समाप्ति पर कर सकता था :

परन्तु परिवीक्षा की कुल अवधि, जिसमें बढ़ाई गई अवधि भी, यदि कोई है, शामिल है, तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

ज्येष्ठता :

11. सेवा में सदस्यों की परस्पर ज्येष्ठता सेवा में किसी भी पद पर उनके लगातार सेवाकाल के अनुसार निश्चित की जाएगी :

परन्तु जहां सेवा में विभिन्न संवर्ग हों, वहां ज्येष्ठता प्रत्येक संवर्ग के लिए अलग-अलग निश्चित की जाएगी :

परन्तु यह और कि सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निश्चित योग्यता क्रम परिवर्तित नहीं किया जाएगा :

परन्तु यह और कि एक ही तिथि को नियुक्त दो या दो से अधिक सदस्यों की दशा में, उनकी ज्येष्ठता निम्नलिखित रूप से निश्चित की जाएगी :—

(क) सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्य, पदोन्नति या स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा ;

(ख) पदोन्नति द्वारा नियुक्त सदस्य स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा ;

(ग) पदोन्नति द्वारा अथवा स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में, उनकी ज्येष्ठता ऐसी नियुक्तियों में ऐसे सदस्यों की ज्येष्ठता के अनुसार निश्चित की जाएगी, जिन से वे पदोन्नत या स्थानान्तरित किये गए थे ; और

(घ) विभिन्न संवर्गों से स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में, उन की ज्येष्ठता वेतन के अनुसार निश्चित की जाएगी, अधिमान ऐसे सदस्य को दिया जाएगा, जो अपनी पहले की नियुक्ति में उच्चतर दर पर वेतन ले रहा था, और यदि मिलने वाले वेतन की दर भी समान हो, तो उनकी नियुक्तियों में उसके सेवा-काल के अनुसार, और यदि सेवा काल भी समान हो, तो आयु में बड़ा सदस्य छोटे सदस्य से ज्येष्ठ होगा ।

सेवा करने का दायित्व :

12. (1) सेवा का कोई सदस्य, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा, हरियाणा राज्य अथवा उस के बाहर, किसी भी स्थान पर, सेवा करने के लिए, आदेश दिए जाने पर, सेवा करने का दायी होगा ।

(2) सेवा के किसी सदस्य को सेवा के लिए निम्नलिखित के अधीन भी प्रतिनियुक्त किया जा सकता है ,—

(i) कोई कम्पनी, संगम या व्यष्टि-निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, जिस का पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियन्त्रण राज्य सरकार के पास है, हरियाणा राज्य के भीतर, नगर निगम या स्थानीय प्राधिकरण या विश्वविद्यालय ;

(ii) केन्द्रीय सरकार या ऐसी कम्पनी, संगम या व्यष्टि-निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियन्त्रण केन्द्रीय सरकार के पास हो ; अथवा

(iii) कोई अन्य राज्य सरकार, अन्तर्राष्ट्रीय संगठन, स्वायत्त-निकाय, जिस का नियन्त्रण सरकार के पास न हो, अथवा गैर सरकारी निकाय :

परन्तु सेवा के किसी भी सदस्य को उसकी सहमति के बिना खण्ड (ii) या खण्ड (iii) में निर्दिष्ट केन्द्रीय या किसी अन्य राज्य सरकार या किसी संगठन या निकाय में सेवा करने के लिये प्रतिनियुक्त नहीं किया जाएगा ।

वेतन, छुट्टी, पेंशन तथा अन्य मामले :

13. वेतन, छुट्टी, पेंशन तथा अन्य सभी मामलों के सम्बन्ध में जिनका इन नियमों में स्पष्ट रूप से उपबन्ध नहीं किया गया है, सेवा के सदस्य ऐसे नियमों तथा विनियमों द्वारा नियन्त्रित होंगे, जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा भारत के संविधान के अधीन या राज्य विधान मण्डल द्वारा बनाई गई तथा उस समय लागू विधि के अधीन अपनाएं या बनाएं गए हों अथवा इसके बाद अपनाए या बनाए जाएं ।

अनुशासन, शस्तियां तथा अपीलें :

14. (1) अनुशासन, शस्तियां तथा अपीलों से सम्बन्धित मामलों में, सेवा के सदस्य समय-समय पर यथा संशोधित हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 1987, द्वारा, नियन्त्रित होंगे :

परन्तु ऐसी शस्तियों का स्वरूप, जो लगाई जा सकती हैं, ऐसी शास्तियां लगाने के लिए सक्षम, प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन बनाई गई किसी विधि या नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए वे होंगे, जो इन नियमों के परिशिष्ट ग में विनिर्दिष्ट है ।

(2) हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 1987, के नियम 9 के उप-नियम (i) के खण्ड (ग) या खण्ड (घ) के अधीन आदेश करने के लिए सक्षम प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी भी वह होगा, जो इन नियमों के परिशिष्ट (घ) में विनिर्दिष्ट हैं ।

टीका लगवाना :

15. सेवा का प्रत्येक सदस्य टीका लगवायेगा तथा जब सरकार किसी विशेष या साधारण आदेश द्वारा ऐसा निर्देश करे, पुनः टीका लगवायेगा ।

राजनिष्ठा की शपथ :

16. सेवा के प्रत्येक सदस्य से, जब तक उस ने पहले ही भारत के प्रति तथा विधि द्वारा यथास्थापित भारत के संविधान के प्रति राजनिष्ठा की शपथ न ले ली हो, ऐसा करने की अपेक्षा की जाएगी ।

ढील देने की शक्ति :

17. जहां सरकार की राय में, इन नियमों के किसी उपबन्ध में ढील देना, आवश्यक या उचित हो, वहां वह कारण लिखकर आदेश द्वारा व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग के बारे में ऐसा कर सकती है ।

विशेष उपबन्ध :

18. इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, नियुक्ति प्राधिकारी, यदि वह नियुक्ति आदेश में विशेष निबन्ध तथा शर्तें लगाना उचित समझे, तो, वह ऐसा कर सकता है ।

आरक्षण :

19. इन नियमों में दी गई कोई भी बात, राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों, विकलांग व्यक्तियों या व्यक्तियों के किसी अन्य वर्ग या प्रवर्ग को दिए जाने के लिए अपेक्षित आरक्षणों तथा अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी :

परन्तु इस प्रकार से किए गए आरक्षण की कुल प्रतिशतता किसी भी समय 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ।

निरसन तथा व्यावृत्ति :

20. पंजाब राज्य (श्रेणी IV) सेवा नियम, 1963, हरियाणा राज्यार्थ इस के द्वारा, इस के निरसित किए जाते हैं :

परन्तु इस प्रकार से निरसित नियमों के अधीन किया गया कोई आदेश या की गई कार्रवाई इन नियमों के अनुरूप उपबन्धों के अधीन किया गया आदेश अथवा की गई कार्रवाई समझी जाएगी ।

क्रम सं.	पदो
1	दप
2	जम
3	सेव
4	चं
5	स
6	स च
7	व
8	
9	व
10	

क्रम सं.
1
2
3
4
5

परिशिष्ट क

(देखिए नियम 3)

पदों की संख्या

क्रम सं.	पदों का नाम	अम्बाला	पंचकूला	यमुनानगर	कुरूक्षेत्र	कैथल	वेतनमान
1	दफतरी	1	1	2	1	1	2650-65-3300-दा॰रो॰-70-4000 रुपये
2	जमादार	2	1	1	—	—	2650-65-3300-दा॰रो॰-70-4000 रुपये
3	सेवादार	86	26	49	50	43	2550-55-2600-दा॰रो॰-60-3200 रुपये
4	चौकीदार	4	1	1	1	3	2550-55-2600-दा॰रो॰-60-3200 रुपये
5	स्वीपर	4	1	2	4	4	2550-55-2600-दा॰रो॰-60-3200 रुपये
6	स्वीपर एवं चौकीदार	—	—	—	—	—	2550-55-2600-दा॰रो॰-60-3200 रुपये
7	वाटरमैन	2	—	1	1	1	2550-55-2600-दा॰रो॰-60-3200 रुपये
8	टैंटफिटर	—	—	—	—	—	2550-55-2600-दा॰रो॰-60-3200 रुपये
9	कहार	—	—	—	—	—	2550-55-2600-दा॰रो॰-60-3200 रुपये
10	माली	2	1	1	1	1	2550-55-2600-दा॰रो॰-60-3200 रुपये

पदों की संख्या

क्रम सं.	पदों का नाम	करनाल	पानीपत	सोनीपत	रोहतक	झज्जर	वेतनमान
1	दफतरी	1	2	—	1	1	2650-65-3300-दा॰रो॰-70-4000 रुपये
2	जमादार	2	2	2	3	2	2650-65-3300-दा॰रो॰-70-4000 रुपये
3	सेवादार	52	60	61	92	55	2550-55-2660-दा॰रो॰-60-3200 रुपये
4	चौकीदार	2	2	2	3	3	2550-55-2660-दा॰रो॰-60-3200 रुपये
5	स्वीपर	5	5	5	2	3	2550-55-2660-दा॰रो॰-60-3200 रुपये

क्रम सं.	पदों का नाम	करनाल	पानीपत	सोनीपत	रोहतक	झज्जर	वेतनमान
6	स्वीपर एवं चौकीदार	3	5	5	3	—	2550-55-2660-दा·रो·-60-3200 रुपये
7	वाटरमैन	4	3	—	2	2	2550-55-2660-दा·रो·-60-3200 रुपये
8	टैंटफिटर	—	—	—	—	—	2550-55-2660-दा·रो·-60-3200 रुपये
9	कहार	—	—	—	—	—	2550-55-2660-दा·रो·-60-3200 रुपये
10	माली	1	1	—	1	2	2550-55-2660-दा·रो·-60-3200 रुपये

पदों की संख्या

क्रम सं.	पदों का नाम	फरीदाबाद	गुड़गांवा	नारनौल	रिवाड़ी	वेतनमान
1	दफतरी	3	4	1	1	2650-65-3300-दा·रो·-70-4000 रुपये
2	जमादार	3	4	3	1	2650-65-3300-दा·रो·-70-4000 रुपये
3	सेवादार	60	74	44	45	2550-55-2660-दा·रो·-60-3200 रुपये
4	चौकीदार	5	5	8	2	2550-55-2660-दा·रो·-60-3200 रुपये
5	स्वीपर	4	5	9	2	2550-55-2660-दा·रो·-60-3200 रुपये
6	स्वीपर एवं चौकीदार	1	1	2	3	2550-55-2660-दा·रो·-60-3200 रुपये
7	वाटरमैन	—	2	5	—	2550-55-2660-दा·रो·-60-3200 रुपये
8	टैंटफिटर	—	1	—	—	2550-55-2660-दा·रो·-60-3200 रुपये
9	कहार	—	—	1	—	2550-55-2660-दा·रो·-60-3200 रुपये
10	माली	—	1	4	—	2550-55-2660-दा·रो·-60-3200 रुपये

पदों की संख्या

क्रम सं.	पदों का नाम	भिवानी	हिसार	फतेहाबाद	सिरसा	जीन्द	वेतनमान
1	दफतरी	1	1	1	1	1	2650-65-3300-दा·रो·-70-4000 रुपये
2	जमादार	2	3	1	1	2	2650-65-3300-दा·रो·-70-4000 रुपये

क्रम सं.	पदों का नाम	भिवानी	हिसार	फतेहाबाद	सिरसा	जीन्द	वेतनमान
3	सेवादार	88	135	40	93	89	2550-55-2660-दा॰रो॰-60-3200 रुपये
4	चौकीदार	2	5	4	1	4	2550-55-2660-दा॰रो॰-60-3200 रुपये
5	स्वीपर	—	6	4	3	5	2550-55-2660-दा॰रो॰-60-3200 रुपये
6	स्वीपर एवं चौकीदार	—	—	1	1	4	2550-55-2660-दा॰रो॰-60-3200 रुपये
7	वाटरमैन	—	2	2	—	—	2550-55-2660-दा॰रो॰-60-3200 रुपये
8	टैंटफिटर	—	—	—	—	—	2550-55-2660-दा॰रो॰-60-3200 रुपये
9	कहार	—	—	—	—	—	2550-55-2660-दा॰रो॰-60-3200 रुपये
10	माली	—	1	2	—	1	2550-55-2660-दा॰रो॰-60-3200 रुपये

परिशिष्ट 'ख'
[देखिए नियम 7]

क्रम सं०	पद नाम	सीधी भर्ती के लिये शैक्षिणक अर्हताएं तथा अनुभव यदि कोई हो	सीधीं भर्ती से अन्यथा नियुक्ति के लिये शैक्षिणक अर्हताएं तथा अनुभव यदि कोई हो
1	2	3	4
1	दफतरी	—	पदोन्नति द्वारा — सेवादार या चौकीदार के रूप में पांच वर्ष का अनुभव ; स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा — (i) दफतरी के रूप में तीन वर्ष का अनुभव; (ii) हिन्दी सहित मिडल पास;
2	जमादार	—	पदोन्नति द्वारा सेवादार या चौकीदार के रूप में पांच वर्ष का अनुभव ; स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा — (i) हिन्दी सहित मिडल पास, (ii) जमादार के रूप में तीन वर्ष का अनुभव;
3	सेवादार	हिन्दी सहित मिडल पास	हिन्दी सहित मिडल पास
4	चौकीदार	(i) हिन्दी सहित मिडल पास (ii) भूतपूर्व सैनिक को प्राथमिकता दी जाएगी।	हिन्दी सहित मिडल पास
5	स्वीपर	हिन्दी पढ़ना और लिखना जानता हो।	हिन्दी पढ़ना और लिखना जानता हो।
6	स्वीपर एवं चौकीदार	हिन्दी पढ़ना और लिखना जानता हो।	हिन्दी पढ़ना और लिखना जानता हो।
7	वाटरमैन	हिन्दी पढ़ना और लिखना जानता हो।	हिन्दी पढ़ना और लिखना जानता हो।
8	टैन्ट फिटर	हिन्दी पढ़ना और लिखना जानता हो।	हिन्दी पढ़ना और लिखना जानता हो।
9	कहार	हिन्दी पढ़ना और लिखना जानता हो।	हिन्दी पढ़ना और लिखना जानता हो।
10	माली	(i) बागवानी का ज्ञान ; (ii) हिन्दी पढ़ना और लिखना जानता हो।	(i) बागवानी का ज्ञान ; (ii) हिन्दी पढ़ना और लिखना जानता हो।

परिशिष्ट ब

[देखिए नियम 14(1)]

क्रम सं.	पद नाम	नियुक्ति प्राधिकारी	शास्ति का स्परूप	शास्ति लगाने के लिए सशक्त प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी	द्वितीय या अंतिम अपील
1	2	3	4	5	6	7
1	दफतरी	उपायुक्त	1. **छोटी शास्तियां —**	उपायुक्त	आयुक्त	वित्तायुक्त राजस्व
2	जमादार		(i) वैयक्तिक फाईल (आचरण पंजी) पर प्रति रखते हुए चेतावनी,	उपायुक्त	आयुक्त	"
3	सेवादार		(ii) परिनिन्दा ;	उपायुक्त	आयुक्त	"
4	चौकीदार		(iii) पदोन्नति रोकना,	उपायुक्त	आयुक्त	"
5	स्वीपर		(iv) उपेक्षा या आदेशों के उल्लंघन द्वारा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार को या ऐसी कम्पनी या संगम या व्यष्टि निकाय, चाहे वह नियमित हो या नहीं जिस का पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियंत्रण सरकार के पास है या संसद या राज्य विधान मंडल के अधिनियम द्वारा स्थापित किसी स्थानीय प्राधिकरण या विश्व-विद्यालय को हुई धन सम्बन्धी पूरी हानि की या उसके भाग की वेतन से वसूली; और	उपायुक्त	आयुक्त	"
6	स्वीपर एवं चौकीदार			उपायुक्त	आयुक्त	"
7	वाटरमैन			उपायुक्त	आयुक्त	"
8	टैन्ट फिटर			उपायुक्त	आयुक्त	"
9	कहार			उपायुक्त	आयुक्त	"
10	माली			उपायुक्त	आयुक्त	"
			(v) संचयी प्रभाव के बिना वेतन वृद्धियां रोकना,	उपायुक्त	आयुक्त	"
			2. **बड़ी शास्तियां—**			
			(vi) संचयी प्रभाव से वेतन वृद्धियां रोकना	उपायुक्त	आयुक्त	"

1	2	3	4	5	6	7
			(vii) किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए समय-मान में निम्नतर प्रक्रम पर, अवनति ऐसे अतिरिक्त निदेशों सहित कि क्या सरकारी कर्मचारी ऐसी अवनति की अवधि के दौरान वेतन वृद्धियां अर्जित करेगा या नहीं और क्या ऐसी अवधि की समाप्ति पर, ऐसा अवनति उसकी भावी वेतन वृद्धियां स्थगित करने का प्रभाव रखेगी या नहीं ;	उपायुक्त	आयुक्त	वित्तायुक्त राजस्व
			(viii) निम्नतर वेतनमान, ग्रेड, पद या सेवा पर, ऐसी अवनति जो सरकारी कर्मचारी के उस समय वेतनमान, ग्रेड, पद या सेवा पर, जिससे वह अवनत किया गया था, पदोन्नति के लिए साधारणतयः रोक होगी, ऐसा जिस ग्रेड अथवा सेवा से सरकारी कर्मचारी अवनत किया गया था, उस पर बहाली सम्बन्धी और उसकी ज्येष्ठता तथा उस ग्रेड पद पर सेवा पर वेतन के बारे में शर्तों सम्बंधी अतिरिक्त निदेशों के साथ या उनके बिना होगा ;	उपायुक्त	आयुक्त	वित्तायुक्त राजस्व
			(ix) अनिवार्य सेवा निवृत्ति ;	उपायुक्त	आयुक्त	वित्तायुक्त राजस्व
			(x) सेवा से हटाया जाना जो सरकार के अधीन भावी नियोजन के लिए निरर्हता नहीं होगी ;			
			(xi) सेवा से पदच्युति, जो सरकार के अधीन भावी नियोजन के लिए सामान्यतः निरर्हता होगी ।	उपायुक्त	आयुक्त	वित्तायुक्त राजस्व

परिशिष्ट घ

[देखिए नियम 14(2)]

क्रम सं-	पद नाम	आदेश का स्वरूप	आदेश करने के लिए सशक्त प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी	द्वितीय तथा अन्तिम अपील प्राधिकारी
1	2	3	4	5	6
1	दफतरी	(i) पेंशन को नियन्त्रित करने वाले नियमों के अधीन उसे अनुज्ञेय सामान्य/अतिरिक्त पेंशन की राशि में कमी करना या रोकना ;	उपायुक्त	आयुक्त	वित्तायुक्त
2	जमादार		उपायुक्त	आयुक्त	वित्तायुक्त
3	सेवादार	(ii) उसकी अधिवर्षिता के लिये नियत आयु के होने से पूर्व अन्यथा नियुक्ति की समाप्ति	उपायुक्त	आयुक्त	वित्तायुक्त
4	चौकीदार				
5	स्वीपर		उपायुक्त	आयुक्त	वित्तायुक्त
6	स्वीपर एवं चौकीदार		उपायुक्त	आयुक्त	वित्तायुक्त
7	चाटरमैन		उपायुक्त	आयुक्त	वित्तायुक्त
8	टैन्ट फिटर		उपायुक्त	आयुक्त	वित्तायुक्त
9	कहार		उपायुक्त	आयुक्त	वित्तायुक्त
10	माली		उपायुक्त	आयुक्त	वित्तायुक्त

(हस्ताक्षर) . . .,
सचिव, हरियाणा सरकार,
राजस्व विभाग ।

भाग – III

हरियाणा सरकार

राजस्व तथा आपदा प्रबन्धन विभाग

अधिसूचना

दिनांक 27 अप्रैल, 2018

संख्या सा०का०नि० 30/संवि०/अनु० 309/2018.– भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा राजस्व विभाग जिला अधीनस्थ (ग्रुप–घ) सेवा नियम, 1998, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. ये नियम हरियाणा राजस्व विभाग जिला अधीनस्थ (ग्रुप–घ) सेवा (संशोधन) नियम, 2018 कहे जा सकते हैं ।

2. हरियाणा राजस्व विभाग जिला अधीनस्थ (ग्रुप–घ) सेवा नियम, 1998 (जिन्हें, इसमें, इसके बाद, उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 5 में, ''पैंतीस वर्ष'' शब्दों के स्थान पर, ''बयालीस वर्ष'' शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे ।

3. उक्त नियमों में, नियम 14 में,–

(i) उप नियम (1) मे,''1987'' अंकों के स्थान पर, ''2016'' अंक प्रतिस्थापित किये जाएंगे ; तथा

(ii) उप नियम (2) में, ''हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम,1987 के नियम 9 के उप नियम (1) के खण्ड (ग) तथा खण्ड (घ)'' शब्दों, कोष्ठकों, चिह्नों तथा अंकों के स्थान पर, ''हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 2016 के नियम 9 के खण्ड (ग) तथा खण्ड (घ)'' शब्द, कोष्ठक, चिह्न तथा अंक प्रतिस्थापित किये जाएंगे।

केशनी आनंद अरोड़ा,
अपर मुख्य सचिव तथा वित्तायुक्त, हरियाणा सरकार,
राजस्व तथा आपदा प्रबन्धन विभाग ।